न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– दलेलसिंह पुत्र श्री कपूरसिंह जाति जटसिख साकिन चक 1 जे.एस. डी. तहसील श्रीविजयनगर।

----- अपीलान्ट

-- बनाम --

राजस्थान सरकार।

----- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री विजय कुमार — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 9.07.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.2018, जिसमें अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/2006 एसडीएम श्रीविजयनगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से टोपीदार बन्दूक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/2006 एसडीएम श्रीविजयनगर बना है, जिस पर डीबीबीएल गन सं. 3082 दर्ज है, जो दिनांक 14.12.2016 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, जैतसर की रिपोर्ट दिनांक 4.1.18 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध छः आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए, जिनमें से 3 मुकदमों में अपीलांट दोषमुक्त हुआ है तथा 3 मुकदमों में राजीनामा हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय ने थानाधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुशंषा/टिप्पणी नहीं करने तथा अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुए उक्त आपराधिक प्रकरणों के आधार पर उसके झगड़ालू प्रवृति का होना मान कर शस्त्र लाईसेंस सं. 14/2006 निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार का मुख्य कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध शस्त्र दुरूपयोग का कोई मुकदमा कभी भी दर्ज नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलंट को समुचित सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पुलिस थाना जैतसर की रिपोर्ट दिनांक 4.1.18 को पेश की गई और दिनांक 18.01.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट के विरूद्ध रंजिश के कारण झूठे मुकदमें दर्ज किये गये थे। इन सभी छः मुकदमों में अपीलांट दोषमुक्त हो चुका है। मुकदमें पूर्व में ही समाप्त हो चुके हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग नहीं है तथा किसी भी मुकदमें का निर्णय में हवाला नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था तथा बिना आधार के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण न करना गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध 6 मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिनमें से 3 मुकदमों में राजीनामा हुआ है। इससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलांट झगड़ालू प्रवृति का है। ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अतः व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित आधारों पर है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलान्ट ने टोपीदार बन्दूक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/2006 एसडीएम श्रीविजयनगर को नवीनीकरण करवाने का प्रार्थना पत्र उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, जैतसर की रिपोर्ट दिनांक 4.1.18 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध छः आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए, जिनमें से 3 मुकदमों में अपीलान्ट दोषमुक्त हुआ है तथा 3 मुकदमों में राजीनामा हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय ने थानाधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुशंषा/टिप्पणी नहीं करने तथा अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज आपराधिक प्रकरणों के आधार पर उसके झगड़ालू प्रवृति का होना मान कर अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेंस सं. 14/2006 निरस्त कर दिया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का कथन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुए सभी मुकदमों में उसे दोषमुक्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व सबूत आदि प्रस्तुत करने बाबत अपीलांट को समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है । न्यायालय के अनुसार अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि उपखण्ड न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, कथन स्वीकार योग्य नहीं है । क्योंकि टोपीदार बन्दूक लाइसेंस जारी करने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट दिनांक 4.1.18 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत एवम् 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 6 मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिनमें से 3 मुकदमों में राजीनामा हुआ है। इस प्रकार दर्ज मुकदमों के आधार पर उसके झगड़ालू प्रवृति का होना साबित करता है। । हम विद्वान सहायक लोक अभियोक के कथन से सहमत हैं कि ऐसे झगड़ालू व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यापक लोक शांति, लोक सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्री विजयनगर द्वारा पारित आदेश 18.01.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्री विजयनगर का आदेश दिनांक 18.01.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 9.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर